न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 61/2012

हरपालसिंह पुत्र महताबसिंह जाति कश्मीरी ब्राहमण सिख निवासी 22 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

-- अपीलार्थी

बनाम

1. भूपराम पुत्र बगड़ावतराम जाति बिश्नोई निवासी 19 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2. श्रंगारी पत्नी मनीराम 3. मनीराम पुत्र मुंशीराम 4. रामप्यारी बेवा मुंशीराम 5. सोहनलाल पुत्र मुंशीराम 6. सुखराम पुत्र मुंशीराम 7. रामकरण पुत्र मुंशीराम 8. रामस्वरूप पुत्र मुंशीराम 9. रूपराम पुत्र मुंशीराम	जाति बावरी निवासीगण 19 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

10. सोमवती देवी पुत्री मुंशीराम जाति बावरी निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

11. संतरो देवी की पुत्री जाति बावरी निवासी 15 के के
12. लिछमा पुत्री गुड्डी देवी दोहिती मुंशीराम बावरी

जरिये मु.आ. व काबिज काश्तकार मनीराम पुत्र मुंशीराम जाति बावरी निवासी 19 एन पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

13. अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर ।
14. अधिशाषी अभियन्ता इंदिरा गांधी नहर परियोजना सूरतगढ़ ब्रांच पूर्व खण्ड श्रीविजयनगर।

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

15. अधिशाषी अभियन्ता सिंचित क्षेत्र विकास विभाग चारणवाला ईन्ट भट्टा ओ. एफ. डी खण्ड इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर ।
17. जगराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी निवासी 19 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगागर।
18. परमेश्वरी बेवा रामलाल जाति बावरी निवासी 19 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगागर ।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–रा.अधि. 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

दिनांक 01.05.2012

उपस्थितिः–

श्री हरपालसिंह सूदन, अभिभाषक अपीलांट

श्री हेतराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पो.।

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 18.10. 2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेंप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88(2) व (5) राज.भू.राजस्व अधिनियम एवं धारा 8 (1) राज.उप.(सामान्य उपनिवेशन) शर्ते एवं धारा 24 राज. सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम के तहत पेश कर चक 19 एन पी के मु.न. 43(170/342) के कि.न. 1 से 5 की दो–दो बिस्वा एवं कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की दो–दो बिस्वा कुल 1 बीघा राजस्व रिकार्ड में विद्यमान खाला को प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं मु.न. 48 (171/343) के कि.न. 1 से 5 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा, पत्थर लाईन पर 10 बिस्वा एवं मु.नं. 49(170/343) के कि.नं. 1 से 5 प्रत्येक की दो–दो बिस्वा व पत्थर लाईन पर 10 बिस्वा कुल 1 बीघा भूमि को

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

गै.मु. खाला में परिवर्तित किये जाने एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर ने दिनांक 01.05.2012 को प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसे प्रा.पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार उनको नहीं है एंव आदेश दिया कि प्रार्थी सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष कायवाही करन हेतु स्वतन्त्र है। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसपर सुनकर आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर को है। अधी.न्यायालय को प्रा.पत्र का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करना चाहिए था जो नहीं कर अधी.न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमांड किया जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 1986(2) डब्लू एल एन पेज 57 की नजीर पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि ऐसे प्रा.पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर को नहीं है इसलिए प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। साथ ही अधी.न्यायालय ने प्रार्थीगण को सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने हेतु को स्वतन्त्र छोड़ा है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया गया।

प्रार्थीगण ने अधी.न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं जो अनुतोष चाहा गया था उसके सम्बन्ध में जिला कलेक्टर ने यह आदेश दिया कि ऐसे प्रा.पत्र सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को पेश किये जाने का प्रावधान है जिला कलेक्टर को सीधे ही नया खाला स्वीकृत करने या स्वीकृत खाला

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को निरस्त करने का अधिकार नहीं है एवं प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थी आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है का आदेश दिये हैं उक्त आदेश में हमारे विचार से कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर